L. A. BILL No. XXX OF 2023.

A BILL
TO ENACT AND AMENDMENT OF MUNICIPAL CORPORATION OF CITY OF PUNE TAXATION RULES UNDER THE MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATION ACT WITH RETROSPECTIVE EFFECT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३० सन् २०२३।

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के अधीन पुणे शहर नगर निगम कराधान नियमों का भूतलक्षी प्रभाव से अधिनियमितिकरण तथा संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९४९ का ५९।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के अधीन पुणे शहर के नगर निगम कराधान नियमों को भूतलक्षी प्रभाव से अधिनियमित तथा संशोधिन करना तथा उसके कतिपय उपबंधों का विधिमान्यकरण करना इष्टकर हैं ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र पुणे शहर के नगर निगम कराधान (भूतलक्षी प्रभाव से नियमों का अधिनियमितिकरण, संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०२३ कहलाए।

(शा.म.मु.) एचबी १०३५-१ (५५—७-२०२३)

आनुपातिक मूल्य अवधारित करने के लिए १ अप्रैल १९७० से नियमों की प्रभावी अधिनियमितिकरण।

२. १ अप्रैल १९७० से प्रारम्भ होनेवाली तथा ३१ मार्च २०२३ पर समाप्त होनेवाले अवधि के दौरान, पुणे शहर के नगर निगम के क्षेत्र में के भवन या भूमि के आनुपातिक मूल्य का अवधारण करने के लिए निम्न नियम बनाए जायेंगे और १ अप्रैल १९७० को महाराष्ट्र नगर निगम की धारा ४५४ के अधीन पुणे शहर नगर निगम द्वारा किये गए ऐसा समझा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९४९ का ५९।

" १. संक्षिप्त नाम,—यह नियम पुणे शहर नगर निगम कराधान (संशोधन) नियम, १९७० कहलाए।

२. यथा प्रयुक्त पुणे शहर नगर निगम महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की संलग्न अनुसूची घ, के अध्याय आठ, के नियम ७, के उप-नियम (१) के स्थान में, निम्न उप-नियम रखे जायेंगे और १ अप्रैल १९७० से रखे गए समझे जायेंगे, अर्थात् :—

" (१) सम्पत्ति कर को निर्धारणीय किसी भवन या भूमि का आनुपातिक मूल्य नियत करने के उद्देश्य से, वार्षिक किराए, जिसके लिए ऐसी भूमि या भवन समुचित हो सके ऐसे उक्त वार्षिक किराए के पंद्रह प्रतिशत की समान राशि वर्षानुवर्ष कटौती की जायेगी और उक्त मरम्मत के लिए सभी भत्तों के बदले में या चाहे किन्ही अन्य लेखे पर होगी :

परंतु, किसी भवन या भवन का हिस्सा स्वामी द्वारा अनन्य रूप से निवासीय प्रयोजन के लिए अधिभोगित किया है, के मामले में वार्षिक किराए की रकम से चालीस प्रतिशत की समान राशि की कटौती की जायेगी :

परंतु आगे यह कि, यदि स्वामि ने, केवल उसके निवासी प्रयोजनों के लिये एक से अधिक भवन या भवन का हिस्सा अधिभोगित किया है ऐसे मामलों में, किसी एक भवन या भवन का हिस्सा ऐसी कटौती के लिये पात्र होगा। "।

आनुपातिक मूल्य अवधारित करने के लिए १ अप्रैल २०२३ से नियमों का अधिनियमितिकरण।

३. पुणे शहर नगर निगम के क्षेत्र में भवन या भूमि को अनुपातिक मूल्य का अवधारण करने के लिए उपबंध करनें है, के लिये कराधान नियम अधिनियमत करने और संशोधन करने के लिये निम्न नियम,किया जायेगा और महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा ४५४ के अधीन १ अप्रैल २०२३ से किया गया समझा जायेगा, अर्थात् :— सन् १९४९ का ५९।

" १. **संक्षिप्त नाम,** यह नियम पुणे शहर नगर निगम कराधान (संशोधन) नियम, २०२३ कहलाए।

२. पुणे शहर नगर निगम में यथा प्रयुक्त महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम से संलग्न अनुसूची घ की के अध्याय आठ के नियम ७ के उप-नियम (१) में, निम्न उप-नियम, रखे जायेंगे और १ अप्रैल २०२३ से रखे गए समझे जायेंगे, अर्थात् :—

" (१) सम्पत्ति कर को निर्धारणीय किसी भवन या भूमि का आनुपातिक मूल्य नियत करने के उद्देश्य से वार्षिक किराए, जिसके लिए ऐसी भूमि या भवन समुचित हो सके से उक्त वार्षिक किराए के दस प्रतिशत की समान राशि की वर्षानुवर्ष कटौती की जायेगी और उक्त कटौती मरम्मत के लिए सभी भत्तों के बदले या चाहे किसी अन्य लेखे के बदले में होगी :

परंतु, निवासीय प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से स्वामि द्वारा अधिभोगित किसी भवन या भवन के हिस्से के मामले में, वार्षिक किराए की रक्कम से चालीस प्रतिशत की समान राशि की कटौती की जायेगी :

परंतु आगे यह कि, यदि स्वामि ने, केवल उसके निवासी प्रयोजनों के लिये एक से अधिक भवन या भवन का हिस्सा अधिभोगित किया है के ऐसे मामलों में, किसी एक भवन या भवन का हिस्सा ऐसी कटौती के लिये पात्र होगा। "।

आनुपातिक मूल्य के अवधारण के लिए वार्षिक किराए से दी गयी कटौती की रकम का विधिमान्यकरण तथा व्यावृत्ति।

४. (१) महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे इस धारामें " मूल अधिनियम " कहा गया है) या किसी न्यायालय के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिनियम की अनुसूची घ के अध्याय आठ के नियम ७ में विनिर्दिष्ट वार्षिक किराए से अनुज्ञात कटौती की कोई रकम, पुणे शहर नगर निगम द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची घ के अध्याय आठ के नियम ७ के उपबंधों के उप-नियम (१) के अनुसरण में १ अप्रैल १९७० से प्रारम्भ होनेवाली तथा ३१ मार्च २०२३ को समाप्त होनेवाली अवधि के दौरान किसी भूमि या भवन के आनुपातिक मुल्य के नियतन के अनुसरण में कृत या करने की आशयित कोई सन् १९४९ का ५९।

कार्यवाही समेत उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्य करने के लिए कार्यरत या तात्पर्यित समझी जायेगी और हमेशा की गयी समझी जायेगी जो विधि के अनुसरण में सम्यक्तया और विधिमान्यत: के रूप में कटौती की गई समझी जायेगी मानों कि, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधन उक्त नियमों के उपबंध संशोधन १ अप्रैल १९७० से निरंतर प्रभावी हुए थे और तद्नुसार,—

(क) सम्पत्ति कर के किसी निर्धारण, उद्ग्रहण, माँग, संग्रहण या पुनरीक्षण या वार्षिक किराए की रकम से दी गई कोई कटौती के संबंध में उक्त निगम द्वारा, या उसके किसी अधिकारियों या किन्ही अन्य प्राधिकरणों द्वारा किए गए सभी कृत्य कार्यवाहियाँ कार्य उक्त अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में, कृत या की गई समझी जायेगी ;

(ख) इस प्रकार उद्ग्रहीत और संग्रहीत सम्पत्ति कर या वार्षिक किराए की किसी रकम के कारण की गई कटौती की किसी रकम के प्रतिदाय के लिए उक्त निगम या उसके किसी अधिकारियों या किन्ही अन्य प्राधिकरणों के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद अपील या अन्य कार्यवाहियाँ संस्थित या जारी नहीं रखेगी ;

(ग) कोई न्यायालय या अन्य कोई प्राधिकरण, इस प्रकार उद्ग्रहीत और संग्रहीत सम्पत्ति कर की कोई रकम के प्रतिदाय का निदेश देनेवाली कोई डिक्री या आदेश प्रवृत्त नहीं करेगा।

(घ) किन्ही वार्षिक किराए के कारण अधिक में उद्ग्रहीत और संग्रहीत सम्पत्ति कर की कोई रकम का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा और वह उक्त अधिनियम के अधीन, देय सम्पत्ति कर की रकम के रूप में समायोजित किया जायेगा।

(२) संदेह के निराकरण के लिए, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है की, उप-धारा (१) में की कोई बात,—

(क) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उप-धारा (१) में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर के किसी निर्धारण, उद्ग्रहण, माँग, संग्रहण या पुनरीक्षण या कोई कटौती अधिनियम, मूल अधिनियम की के उपबंधों या तद्धीन विरचित नियमों के अनुसरण में प्रश्नगत करने से प्रतिबंधित व्यक्ति के रूप में अर्थ नहीं लगाया जायेगा ;

(ख) मूल अधिनियम के अधीन सम्पत्ति कर के जरिए से उससे देय रकम के अधिक में उसके द्वारा भुगतान किए गए सम्पत्ति कर के प्रतिदाय करते के दावे से प्रतिबंधित किया जायेगा।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

५. (१) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्भूत हो, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत कोई बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, नही बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

महाराष्ट्र राज्य में, मुंबई नगर निगम से अन्य नगर निगमों, भूमियों या भवनों के आनुपातिक मुल्य के आधार पर भूमियों और भवनों पर सम्पत्ति करों का उद्ग्रहण करती है। महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) से संलग्न अनुसूची घ के अध्याय आठ का नियम ७ आनुपातिक मूल्य का अवधारण करने के लिए उपबंध करता है। उक्त अधिनियम की धारा ४५४, उक्त अनुसूची घ में किन्हीं नियमों को जोडने, संशोधन करने नियमों में परिवर्तन करने या नियम अभिशून्य करने के लिए निगम को समर्थ बनाती है।

उक्त अधिनियम की धारा ४५५ की, उप-धारा (१) यह उपबंध करती है की निगम, राज्य सरकारी की मंजूरी के अध्यधीन और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अध्यधीन उक्त अधिनियम की धारा ४५४ के अधीन नियम करेगी। उक्त धारा ४५५ की उप-धारा (२) के अनुसार उक्त धारा ४५४ के अधीन बनाए गए नियम **राजपत्र** में अंतिम प्रकाशित करने के पश्चात्, वे प्रभावी होंगे मानो कि, उक्त अधिनियम में अधिनियमित है।

कराधान नियमों के, नियम ७ के उप-नियम (१) के अनुसार, सम्पत्ति कर को निर्धारणीय किसी भवन या भूमि का आनुपातिक मूल्य नियत करते समय मरम्मत के लिए सभी भत्ते के बदले में वार्षिक किराए के दस प्रतिशत की समान राशि की रकम या चाहे किसी अन्य लेखा पर वार्षिक किराये की रकम से कटौती की जायेगी।

२. महाराष्ट्र सरकार ने, पुणे शहर नगर नियम द्वारा अग्रेषित प्रारुप अधिसूचना को मंजूरी दी है, देखिए उनका उक्त अधिनियम की धारा ४५५ की उप-धारा (१) द्वारा यथा आवश्यक दिनांकित ३ दिसम्बर १९६९ का पत्र। कराधान नियमों का नियम ७ का, उप-नियम (१), संशोधित किया है ताकि वार्षिक किराए के पंद्रह प्रतिशत की समान राशि के रकम और अनन्य रूप से निवासीय प्रयोजन के लिए स्वामि द्वारा अधिभोगित भवन या भवन के हिस्से के लिए वार्षिक किराए के चालीस प्रतिशत के समान राशि की रकम के कटौती के लिए उपबंध किया जा सके। तथापि, उक्त धारा ४५५ की उप-धारा (२) द्वारा यथा आवश्यक अधिसूचना को पुणे शहर नगर निगम द्वारा **राजपत्र** में अंतिमतः प्रकाशित नहीं की है। वर्ष १९७० में उक्त प्रारुप अधिसूचना के आधार पर, पुणे शहर नगर निगम, ने १ अप्रैल १९७० से ऐसे भूमियों और भवनों के वार्षिक किराए में पंद्रह प्रतिशत और चौदह प्रतिशत की कटौती दी थी।

३. इसलिए, १ अप्रैल १९७० से उक्त नियमों को अधिनियमित करना, संशोधन करना, आवश्यक हुआ है और इस निमित्त वैध कार्यवाहियाँ की जाये ताकि, उक्त नगर निगम के क्षेत्र में के भवन या भूमि के स्वामियों से वसूल नहीं की जायेगी।

४. इसलिए, यथोचित विधि विधान हाथ में लेना इष्टकर समझा गया है,—

(क) उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची घ के अध्याय आठ के नियम ७ का, उप-नियम (१), भूतलक्षी प्रभाव से अधिनियमित करना अर्थात्,—

(एक) सभी भवनों और भूमियों के लिए वार्षिक किराए के पंद्रह प्रतिशत की कटौती के लिए १ अप्रैल १९७० से ३१ मार्च २०२३ तक प्रभावी होंगे ;

(दो) १ अप्रैल १९७० से अनन्यरुप से निवासीय प्रयोजन के लिए स्वामि द्वारा अधिभोगित भवन या भवन के भाग के लिए वार्षिक किराए की रकम के चालीस प्रतिशत की कटौति देना ;

(तीन) १ अप्रैल २०२३ से सभी भवनों या भूमियों के लिए वार्षिक किराए के दस प्रतिशत की कटौती देना ; और

(ख) सम्पत्ति कर के निर्धारण, उद्ग्रहण, संग्रहण, आदि के संबंध में पुणे शहर नगर निगम द्वारा की गई सभी कार्यवाहीयां विधिमान्य करना।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २१ जुलाई, २०२३।

एकनाथ शिंदे,
मुख्यमंत्री,

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अंतर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खण्ड ५.—-इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, इस अधिनियम के प्रकाशन के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के भीतर, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्‌भूत कोई कठिनाई का, **राजपत्र** में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा निराकरण करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरुप के है।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २४ जुलाई, २०२३।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई